अनुसूची 14 – फारम सं0 563

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |

1

| | | |
|---|---|---|
| 08<br>01.09.2023 | **न्यायालय उपायुक्त, राँची**<br><br>अधिग्रहण वाद सं० 12 आर० 28/2022–23<br><br>राज्य,<br><br>बनाम<br><br>हाईवा वाहन वहन सं० – CG-14-MK-0176 के मालिक ........ विपक्षी<br><br>आदे ा<br><br>प्रस्तुत वाद की कार्रवाई पुलिस उपाधीक्षक, बेडो, राँची के द्वारा अग्रसारित पत्र दिनांक 22.08.2022 के माध्यम से बेड़ो थाना कांड सं0–69/22 दिनांक 29.06.2022 धारा–414 भा०द०वि० एवं 4/21 MMDR Act, 1957 & 54 JMMC Rule 24 एवं 7/9/13 Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rules, 2017 में जप्त हाईवा वाहन वहन सं० – CG-14-MK-0176 को राजसात की कार्रवाई करने के अनुशंसा के आधार पर आरम्भ किया गया है।<br><br>प्राप्त प्रतिवेदनानुसार वादी विश्वनाथ उराँव पिता स्व० भीखा उराँव, निवासी उपरी थाना माण्डर, जिला राँची, वर्तमान खान निरीक्षक, जिला खनन कार्यालय, राँची जिला राँची के लिखित प्रतिवेदन के आधार पर प्राथमिकी अभियुक्त हाईवा वाहन सं० CG-14-MK-0176 के मालिक तथा चालक के विरुद्ध अवैध रूप से बालू का खनन कर परिवहन करने तथा बिक्री करने के आरोप में प्रतिवेदित कराया गया है। पर्यवेक्षणोंपरान्त इस काण्ड को धारा–414 भा०द०वि० एवं 4/21 MMDR Act, 1957 & 54 JMMC Rule 24 एवं 7/9/13 Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rules, 2017 मे अन्तर्गत उपरोक्त प्राथमिकी अभियुक्त के खिलाफ सत्य पाया गया है।<br><br>पुलिस उपाधीक्षक, बेड़ो, राँची के द्वारा अग्रसारित पत्र दिनांक 18.08.2022 के माध्यम से प्राप्त उपरोक्त वाहनो को राजसात करने के प्रस्ताव के साथ वाहन मालिक का नाम एवं पता अंकित नही होने के कारण पत्रांक 2983 (ii) दिनांक 12.09.2022 के द्वारा जिला परिवहन पदाधिकारी, राँची से संपर्क कर उक्त वाहन के मालिक का नाम | |

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

| आदेश का क्रम संख्या और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ। |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |



जानकारी प्राप्त कर पुरे पता के साथ दिनांक 18.10.2022 के पूर्व उपलब्ध करने का निदेश दिया गया था, परन्तु उनके द्वारा अभी तक उक्त संदर्भ मे कोई जानकारी प्रदान नही किया गया है।

अतः विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुनने के पश्चात यह वाद अंतिम आदेश पारित करने हेतु निर्धारित किया गया।

प्रार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान सहायक सरकारी अधिवक्ता को सुना। अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि उपरोक्त वाहनो मे लदे बालु के वैधनिकता के संदर्भ मे ना तो कोई प्रमाणिक साक्ष्य ना ही तथ्यात्मक कागजात प्रस्तुत किये गये है। पर्यवेक्षणोंपरान्त इस काण्ड को धारा–414 भा०द०वि० एवं 4/21 MMDR Act, 1957 & 54 JMMC Rule 24 एवं 7/9/13 Jharkhand Minerals (Prevention of Illegal Mining Transportation and Storage) Rules, 2017 मे अन्तर्गत उपरोक्त प्राथमिकी अभियुक्त के खिलाफ सत्य पाया गया है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि उपरोक्त वाहन मे लघु खनिज/बालु का परिवहन अवैध रूप से किया जा रहा था, जिससे राज्य को राजस्व का नुकसान हुआ है।

अतः बेडो थाना कांड सं0–69/22 दिनांक 29.06.2022 में जप्त हाईवा वाहन वहन सं० CG-14-MK-0176 को राजसात किया जाता है।

इस आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण, राँची, पुलिस निरीक्षक–सह–थाना प्रभारी, बेड़ो थाना, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
राँची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
राँची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.23 01:49:43 -08:00
Location: 192.168.1.4